संख्या- 50 / 1193 / चार-2015-46 (बजट)/13

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,

संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,

जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकीय पाण्डुलिपि पुस्तकालय , इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के बाघम्बरी आवास योजना में ब्लाक नं0-1 के फ्लैट नं0 9,10,11 व 12 को क्रय एवं रजिस्ट्री हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय पाण्डुलिपि पुस्तकालय , इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के बाघम्बरी आवास योजना में ब्लाक नं0-1 के फ्लैट नं0 9,10,11 व 12 के क्रय एवं रजिस्ट्री हेतु शासनादेश संख्या- 3856/चार-2013-46(बजट)/2013, दिनांक 31 दिसम्बर,2013 तथा शासनादेश संख्या- 2018/चार-2014-46(बजट)/2013, दिनांक 19 नवम्बर,2014 क्रमश: धनराशि रू0 35.00 लाख तथा रू0 10.17 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी । तद्नुक्रम में आपके पत्र संख्या- 3626/सं0नि-5 (14)/05, दिनांक 27 मार्च,205 के संदर्भ में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में सेलडीड एवं लीज डीड के लिए अतिरिक्त धनराशि रू0 1,94,532/- (रू0 एक लाख चौरानबे हजार पॉच सौ बत्तीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त व्यय किया जायेगा और व्यय करने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों पर व्यय की जायेगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत निमयों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

5- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- के अधीन लेखाशीर्षक" 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय -04 कला तथा संस्कृति -104-अभिलेखागार-04-राजकीय पाण्डुलिपि पुस्तकालय , इलाहाबाद -24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी -1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

संख्या - / (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
6- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in